Reliance
Industries Limited
Growth is Life

पंजीकृत कार्यालय: ३री मंजिल, मेकर चेम्बर्स ४, २२२, नरीमन पाइंट, मुंबई – ४०० ०२१
फ़ोन: +९१–२२–३५५५ ५००० • फ़ैक्स: +९१–२२–३५५५ ५१११ • इ–मेल: investor.relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

विषय: कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों (''नियम'') के अनुसार प्रकाशित की जा रही है.

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है.

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी अभी तक संबंध नियत तिथियों पर आईईपीएफ प्राधिकरण को सभी ऐसे शेयर्स हस्तांतरित कर चुकी हैं, जिनके २०१०–११ या उसके पहले के लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से बकाया है या उनपर कोई दावा नहीं किया गया है. कंपनी ने अब दिनांकित ८ अप्रैल, २०१९ अपने पत्र के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर उचित कारवाई के लिये वित्त वर्ष २०१९–२० में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले हैं.

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.ril.com पर अपलोड कर दी है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेब लिंक http://www.ril.com/InvestorRelations/ShareholdersInformation.aspx देखें.

शेयरधारक ध्यान दे कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं.

संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर–परक्राम्य मान लिए जाएंगे. शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना माना जायेगा.

संबंधित शेयरधारकों से १२ जुलाई, २०१९ तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने के परिस्थिती में, कम्पनी, नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करने के दृष्टिकोण से, आईईपीएफ प्राधिकरण को नियत दिनांक को कार्पोरेट कार्रवाई द्वारा शेयर डीमटेरियलाइज़ और हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

विषय–वस्तु और नियमों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिये शेयरधारक श्री एस. पी. वेणुगोपाल, जनरल मैनेजर, **कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,** कंपनी के रेजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स से कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, गछीबावली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२. **टेली:** + ९१–४०–६७१६ १७००; **फ़ैक्स:** + ९१–४०–६७१६ १६८०; **टोल फ्री नं.:** १८००–४२५–८९९८. (सुबह ९:०० बजे से शाम ६:०० बजे) **ईमेल:** rilinvestor@karvy.com से संपर्क करें.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/–
के. सेथुरामन
ग्रुप कम्पनी सेक्रेटरी और
चीफ कंम्पलायंस ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : १५ अप्रैल, २०१९